न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजीवर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 101/2017 राजस्व अपील

1. कजोड पुत्र मूल्या जाति कोली निवासी कोरडा खुर्द तहसील सिकराय जिला दौसा
अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार, उपतहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार उपतहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 10.04.2017
प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कजोड, प्रकरण संख्या 97/2017

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :– दिनांकः 11.12.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नं. 279 रकबा 0.05 है0 किस्म चरागाह वाके रामा कोरडा खुर्द तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है इस भूमि का स्वरूप चरागाह जैसा नही रहा है। इस भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जाकाश्त नही है। उपतहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट के विरूद्व दिनांक 10.04.2017 को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जाशुदा अराजी से बेदखल करने एवं लगान दर 0.45 रूपये का 50 गुना शास्ति 23 रूपये आरोपित की गई है तथा खडी फसल को कब्जेराज लिया जाकर फसल निलामी करने के आदेश पारित किये है एवं अप्रार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए दो माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं करते हुए यह निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (शपथ पत्र कब्जा काश्त नही होने का) अवलोकन नहीं करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः उक्त निर्णय निरस्तनीय है। साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि यदि चरागाह भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण हो तो उसे हटा लिये जाने का शपथ पत्र पेश कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम कोरडा खुर्द तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 279 रकबा 0.05 है0 पर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 10.04.2017 पारित कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट उक्त चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर पत्थर डालकर कब्जा किया जाना व्यक्त किया गया है। जबकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 10.04.2017 में उक्त प्रश्नगत भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण किया

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

जाना अंकित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिये जाने का शपथ पत्र भी पेश करने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इस शर्त पर स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रश्नगत चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावेगा एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा मौका जांच कर उक्त शपथ पत्र को सत्यापित करने पर ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.04.2017 निरस्त किया जाता है अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजीवर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा
दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा
दौसा